



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042020-219210  
CG-DL-E-28042020-219210

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 28, 2020/वैशाख 8, 1942

No. 163]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 28, 2020/VAISAKHA 8, 1942

भारतीय दन्त परिषद

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2020

**फा. सं. डीई-54-2019.**—दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पत्र सं. V.12025/1/98-डीई दिनांक 15/16 जुलाई, 2009 के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार की अग्रिम स्वीकृति से भारतीय दन्त परिषद, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III की धारा 4, दिनांक 19 अगस्त, 2008 में प्रकाशित मौजूदा प्रमुख डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया डेंटल हाइजीनिस्ट्स कोर्स (चिकित्सकीय स्वच्छता पाठ्यक्रम) विनियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः:

**1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:-**

- (i) इन विनियमों को भारतीय दन्त परिषद डेंटल हाइजीनिस्ट्स कोर्स (पहले संशोधन) विनियम, 2020 कहा जाएगा।
- (ii) ये अधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

**2.** मौजूदा "भारतीय दन्त परिषद डेंटल हाइजीनिस्ट्स कोर्स अधिनियम, 2008" के अंतर्गत मुख्य शीर्षक "डेंटल हाइजीनिस्ट्स के लिए न्यूनतम शिक्षा मानक के अनुरक्षण हेतु विनियम" विनियम 2 के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम को इसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाता है:

2(1) 'एतद्वारा निर्धारित की गई अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की शर्त के आधार पर, संबंधित राज्य सरकार द्वारा डेंटल हाइजीनिस्ट्स कोर्स आरंभ करने/सीटों को बढ़ाने की आवश्यक अनुमति प्राप्त करने तथा तकनीकी जांच के लिए अनिवार्य प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात, इच्छुक

दन्त कॉलेज डेंटल हाइजीन डिप्लोमा शुरु करने के लिए भारतीय दन्त परिषद में आवेदन शुल्क 1.5 लाख रुपये एवं लागू जीएसटी की राशि सचिव, भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करके आवेदन करेंगे। शासकीय दन्त कॉलेजों/संस्थानों को किसी भी आवेदन/निरीक्षण शुल्क से छूट दी गई है।

2(2) जब कॉलेज का पहला बैच अपने अंतिम वर्ष के डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा देता है, संबंधित कॉलेज मान्यता शुल्क 3 लाख रुपये एवं लागू जीएसटी की राशि के साथ डीसीआई को दंत चिकित्सा अधिनियम की धारा 11 के अधीन इसके डेंटल हाइजीन डिप्लोमा की मान्यता के लिए आवेदन करेगा, जो कि 'सचिव, दंत चिकित्सा परिषद को डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से दिल्ली में देय' होना चाहिए। इसके अलावा कॉलेज इसके उपरान्त प्रत्येक अनुवर्ती अनुपालना के सत्यापन के लिए, यदि कोई हो, 1.5 लाख रुपये एवं लागू जीएसटी की राशि निरीक्षण किए जाने की तिथि के 15 दिनों के भीतर भुगतान करेगा।

बशर्ते कि शासकीय दन्त कॉलेजों को दोनों प्रकार के शुल्क से छूट दी जाएगी।

डॉ. सब्यसाची साहा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./18/2020-21]

**फुट नोट (पाद टिप्पणी):** मूल विनियम नामतः, भारतीय दन्त परिषद डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स विनियम, 2008 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III की धारा 4 में दिनांक 19 अगस्त, 2008 को प्रकाशित किए गए थे।

## DENTAL COUNCIL OF INDIA AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2020

**F. No. DE-54-2019.**—In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India, in supersession of GOI's letter No.V.12025/1/98-DE dated 15/16 July, 2009, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Amendments to the existing principal Dental Council of India Dental Hygienists Course Regulations, 2008, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 19<sup>th</sup> August, 2008 namely:—

### 1. Short title and commencement:—

- (i) These Regulations may be called the Dental Council of India Dental Hygienists Course (1<sup>st</sup> Amendment) Regulations, 2020.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In existing "Dental Council of India Dental Hygienists Course Regulations, 2008", under the main Head "**REGULATIONS FOR THE MAINTENANCE OF MINIMUM EDUCATIONAL STANDARD FOR DENTAL HYGIENISTS:**" for regulation 2, the following regulation is hereby substituted namely:

2(1) *'Subject to the fulfillment all other requirement as prescribed herein after, the dental college desirous to start diploma in Dental Hygiene shall apply to the Dental Council of India with an application fee of Rs. 1.5 lakh plus GST as applicable by Demand Draft/Pay Order/NEFT/RTGS in favour of 'Secretary, Dental Council of India, payable at Delhi', after obtaining Essentiality Certificate from the respective State Government for technical scrutiny and for obtaining the necessary permission for starting/Increase of seats the Dental Hygienists Course. The Government Dental Colleges/Institutions are exempted from any application/Inspection fee.*

2(2) *The college, when its first batch appears its final year diploma course examination, shall apply to DCI alongwith a recognition fee of Rs.3 lakhs plus GST as applicable, for recognition of its diploma in Dental Hygiene u/s 11 of the Dentists Act*

*by Demand Draft/Pay Order/NEFT/RTGS in favour of 'Secretary, Dental Council of India, payable at Delhi', Further the college shall pay Rs. 1.5 lakhs plus GST as applicable for each subsequent compliance verification, if any, within 15 days from the date of inspection.*

Provided that the Government Dental Colleges shall be exempted from both kind of fee.

Dr. SABYASACHI SAHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./18/2020-21]

**Foot Note :** The Principal Regulations namely, Dental Council of India Dental Hygienists Course Regulations, 2008, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 19th August, 2008.